प्राक्कथन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस वर्ष दो खण्डों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन खंड I को 13 अगस्त 2013 को संसद के दोनों पटलों पर रखा गया है ।

यह अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन खण्ड II है और इसमें वर्ष 2011-12 के दौरान की गई वित्तीय संव्यवहारों की नमूना लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न चार विषयक लेखापरीक्षा सहित 17 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल है। पूर्व वर्षो के मामलें जिन्हें पहले के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था और 2011-12 के बाद की अवधि वाले मामले भी, जहाँ आवश्यक समझा गया है, शमिल किए गए हैं ।

रेल मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 के अन्तर्गत और लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमों के अनुसार की गई है।

---x---

प्रतिवेदन में प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप

आईआर	भारतीय रेल
सीआर	मध्य रेलवे
ईआर	पूर्वी रेलवे
ईसीआर	पूर्व मध्य रेलवे
ईसीओआर/ई कोस्ट	पूर्व तटीय रेलवे
एनआर	उत्तर रेलवे
एनसीआर	उत्तर मध्य रेलवे
एनईआर	पूर्वोत्तर रेलवे
एनएफआर	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे
एनडब्ल्यूआर	उत्तर पश्चिम रेलवे
एसआर	दक्षिण रेलवे
एससीआर	दक्षिण मध्य रेलवे
एसईआर	दक्षिण पूर्वी रेलवे
एसईसीआर	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
एसडब्ल्यूआर	दक्षिण पश्चिमी रेलवे
डब्ल्यूआर	पश्चिमी रेलवे
डब्ल्यूसीआर	पश्चिमी मध्य रेलवे
आरपीयू	रेलवे उत्पादन इकाई
डीएलडब्ल्यू	डीज़ल ईंजन निर्माण कार्य
सीएलडब्ल्यू	चित्तरंजन इंजन निर्माण कार्य
आईसीएफ	इंटीग्रल कोच कारखाना
आरसीएफ	रेल कोच कारखाना
डीएमडब्ल्यू	डीजल आधुनिकीकरण कार्य
पीएसी	लोक लेखा समिति
एफए एवं सीएओ	वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी